

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 50/20-21



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

फिलिप मुण्डू

हिरामनी कन्डुलना

- विक्रेता

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर										
09.11.20	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक फिलिप मुण्डू पिता स्व० स्व० मरकस मुण्डू ग्राम-सुरन्दा, पो०-मुरहू, थाना मुरहू, जिला खूँटी, ने हिरामनी कन्डुलना पति श्री अजीत तिडू ग्राम-पेरका, पो०-मुरहू, थाना मुरहू, जिला खूँटी, के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सुरन्दा</td> <td>48</td> <td>03</td> <td>1333</td> <td>0.04</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र /खतियान एवं लगान की रसीद सं० 034145 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 585 दिनांक 15.09.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत का नाम ओलषाए पाहन वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार तैतरु आल सहाय पाहन वगैराह के नाम भूमि का रकबा 61.04 एकड़ है। आवेदक के हिस्से में कुल रकबा 4.52 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015-16 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 7000.00(सात हजार)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 4.48 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण फिलिप मुण्डू पिता स्व० स्व० मरकस मुण्डू को हिरामनी कन्डुलना पति श्री अजीत तिडू के साथ ग्राम सुरन्दा के खाता सं० 03 खेसरा संख्या 1333 कुल रकबा 0.04 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 7000.00(सात हजार)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p>इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	सुरन्दा	48	03	1333	0.04
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)							
सुरन्दा	48	03	1333	0.04							